बिहार सरकार

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया।

फोन नं0:– 0631-2224044

मनरेगा के तहत सामग्री अधिप्राप्ति हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना।

आयुक्त, मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 232 दिनांक 04.02.2020 के आलोक में गया जिला हेतु मनरेगा योजना में प्रखंड एवं ग्राम पंचायतों में प्रयुक्त होने वाली सामाग्री यथा– सीमेंट, स्टोन चिप्स, ब्रिक्स, सोन बालू, जी0आई0 शीट, जी0आई0 पाईप, छड़ (08mm, 10mm, 12mm), लोकल बालू आवश्यकतानुसार पौधा, पौधा–सामग्री, स्टेशनरी सामाग्री आदि सामाग्री अधिप्राप्ति (Material Procurement) हेतु प्रतिष्ठित, निबंधित एवं सक्षम प्रतिष्ठानों से अल्पकालीन निविदा की माँग की जा रही है। प्राप्त निविदा के आधार पर सामाग्री अधिप्राप्ति हेतु उनका चयन अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला स्तर पर गठित कमिटी द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2021 को अपराह्न 3:00 बजे निविदा खोलते हुए अधोलिखित दिशा–निदेश के आलोक में किया जाएगाः–

(क) निविदा की सामान्य शर्तेः–

1. विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरांत 20 फरवरी, 2021 को अपराह्न 1:00 बजे तक निविदा लेखा शाखा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया में जमा कराया जा सकता है।
2. निविदा में द्वि–लिफाफा प्रणाली के तहत तकनीकी विवरणी एवं वित्तीय विवरणी अलग–अलग लिफाफा में रखते हुए सीलबंद लिफाफा में उपलब्ध कराना होगा।
3. चयनित आपूर्तिकर्त्ताओं से एक से अधिक प्रखंड/पंचायतों के लिए आवश्यकता अनुसार कार्य लिया जायेगा।
4. प्रखंडो/पंचायतों में सामाग्री की आवश्यकता का आकलन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया में कार्यालय अवधि में किया जा सकता है।
5. निविदा बिना कारण बताये स्थगित/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
6. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
7. किसी प्रकार का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र गया होगा।
8. न्यूनतम तीन वर्षो से सरकारी कार्यालयों में आपूर्ति का अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
9. किसी भी स्थिति में मनरेगा कर्मी एवं उनके संबंधित तथा जन प्रतिनिधियों को निविदा करने का अधिकार नहीं होगा।

(ख) निविदा की तकनीकी शर्तेः–

1. निविदा में उल्लेखित न्यूनत्तम दर सभी कर सहित तथा योजना स्थल पर सामग्री पहूँचाने तक की दर के साथ अंकित करना होगा।
2. निविदा के साथ निबंधन प्रमाण–पत्र (GST, खनन विभाग), पैन कार्ड, विगत तीन वर्षो का GST एवं आयकर Return संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. निविदादाता को अपने निविदा के साथ काली सूची में दर्ज नहीं होने का एक शपथ–पत्र संलग्न करना होगा।
4. समय–सीमा के अंदर एवं निर्धारित मानक के अनुरूप सामाग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म/प्रतिष्ठान को काली सूची में दर्ज करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. गठित कमिटी के द्वारा विभिन्न सामग्रियों हेतु प्रखंडों एवं ग्राम पंचायतों के लिए निविदादाताओं को एक वर्ष के लिए NREGA SOFT (MIS) पर सूचीबद्ध करने की अनुशंसा की जायेगी, जिसका अनुमोदन जिला पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा किया जायेगा। समिति के द्वारा समीक्षा के आधार पर Venders का अधिकत्तम दो वर्षो के लिए सूचीबद्ध अवधि का विस्तार की अनुशंसा की जा सकती है।

(ग) निविदा की वित्तीय शर्तेः–

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
2. प्रत्येक निविदादाताओं को 10,000.00 (दस हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट MGNREGA AKASMITA के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदा में उल्लेखित दर भवन निर्माण विभाग के Schedule of Rates (SoR) तथा वृक्षारोपण और पौधाशालाओं के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होना चाहिए।
4. सामाग्री अधिप्राप्ति में बिहार वित्त नियमावली 2005 यथा संशोधित के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. सामाग्री के आपूर्ति के पश्चात राशि का भुगतान विभाग द्वारा सामाग्री मद में उपलब्ध करायी गयी राशि के आलोक में eFMS के माध्यम से विभागीय दिशा–निर्देशों एवं मनरेगा के मार्गदर्शिका के आलोक में संबंधित प्रखंड/पंचायत/कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा किया जायेगा।

3/2/21

उप विकास आयुक्त–सह–
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा, गया।